न्यायालय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोटड़ी छावर
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

प्रकरण सं० 183/16
दायरा दिनांक :- 14.12.16
निर्णय दिनांक :- 8.5.16

<u>उनवान</u>

1. श्रीलाल पुत्र मांगीलाल
2. बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी दौलतपुरा तह० छीपाबड़ौद

<u>बनाम</u>

घनश्याम पुत्र नन्दा जाति माली निवासी दौलतपुरा तह० छीपाबड़ौद

वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA
निर्णय दिनांक :- 8.5.2017

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा
188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के मामले में इस आशय का पेश
किया गया कि आराजी ख० नं० 114 रकबा 8.01 बीघा मौजा दौलतपुरा
तहसील छीपाबड़ौद में स्थित है जो वादीगण के खातेदारी एवं
कब्जे काश्त में चली आ रही है उक्त वर्णित आराजी वादीगण
के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वादीगण ही काबिज
व काश्त चले आ रहे हैं प्रतिवादी की नियत में बदनीयती आ
गई है वह वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी पर जबरन बल
पूर्वक कब्जा करने का प्रयास करता रहता है जिसे वादीगण ने हमेशा
असफल कर दिया है। दिनांक 2.12.16 को रात्रि को प्रतिवादी ने
उक्त वर्णित आराजी में से उत्तरी पश्चिम दिशा की आराजी पर
धूनी गाड़ने का प्रयास किया तो वादीगण ने प्रतिवादी से वादी
की आराजी पर धूनी गाड़ने से इंकार किया तो प्रतिवादी उस
तो धूनी नहीं गाड़ी लेकिन प्रतिवादी ने वादीगण को धमकी दी
कि आइन्दा वादीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करके
जबरन कब्जा करेगा। यदि प्रतिवादी अपने इरादे में कामयाब

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

को उसके जोते व कब्जे की आराजी से बेदखल कर कब्जा करना कर लिया और वादीगण की भूमि पर जबरन झूनी झाड़ की या अन्य प्रकार से उपयोग करने लग गया या पेड़ पौधे लगा दिये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। इसलिए वादीगण के हित में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना नितान्त आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 2-12-16 को रात्रि से प्रतिवादी द्वारा उक्त वादीगण की आराजी के बेजाब्ता पश्चिम दिशा पर जबरन घुसने का असफल प्रयास किया तथा वादीगण के मना करने पर आमादा झगड़ा करने वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया वादीगण व प्रतिवादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कमोंदिया पर उप०। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम दौलतपुरा सम्वत 2072-75 भाग 1 पेश की गई। मौके प्रतिवादी नक्शा हेतु पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कमोंदिया पर उप० श्री वादीगण एवं प्रतिवादी के द्वारा लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री करने का निवेदन किया है पक्षकारान का कथन है कि विवादित भूमि की पैमाइश कर दी जावे तो हक पक्षकार रहेगा। उपरोक्त राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनाधार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कमोंदिया पर आपसी समझौते के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम दौलतपुरा तह० छीपाबड़ौद के ख०नं० 114 रकबा 8.01 बीघा भूमि की पैमाइश करने हेतु तहसीलदार, छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के काश्तकारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible])
छीपाबड़ौद, जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

…एवं उपखंड मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

वाद संख्या 183/16	धारा अंतर्गत 188 RTA	निर्णय दिनांक 8.5.17
समक्ष - श्री हीरालाल वर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1 श्रीलाल पुत्र मांगीलाल
2. बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी दौलतपुरा छीपाबड़ौद

बनाम

घनश्याम पुत्र लड्डू जाति माली निवासी दौलतपुरा छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मेंयह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
कैम्प कार्यवाही पर आपसी समझौते के आधार पर स्वीकार
किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम दौलतपुरा तह० छीपा०
के ख० नं० 114 रकबा 8.01 बीघा भूमि की पैमाइश करके हद
तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है तथा
प्रति वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता
है कि वादी ग्राम के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी
में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

साथ ही नियमानुसार……………रू0 का व्यायानुतोष……………द्वारा……………को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 8.5.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपजिला मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)

व्यायानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		

Scanned by CamScanner